जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :- जविप्रा/लेखा(आर.सी.आर.)/लीज/2018-19/डी- 264   दिनांक :- 19.7.19

कार्यालय आदेश

नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.5(3)नविवि/3/99पार्ट दिनांक 18.07.2019 के द्वारा प्राधिकरण के भूखण्डों पर बकाया लीज राशि दिनांक 31.12.2019 तक एक मुश्त जमा करवाये जाने पर ब्याज राशि में शत्-प्रतिशत् छूट प्रदान की गई है(आदेश की प्रति संलग्न हैं)।

उक्त जारी आदेश के क्रम में समस्त जोन उपायुक्तों को यह निर्देश दिये जाते है कि भूखण्डों पर बकाया लीज राशि जमा कराने हेतु भूखण्डधारियों को नोटिस जारी किये जावें और इन प्रकरणों की प्रगति/जमा राशि की सूचना राजस्व अर्जन की प्रगति समीक्षा की प्रत्येक बैठक में लाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(टी. रविकान्त)
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर
3. निदेशक(वित्त/विधि/आयोजना), जविप्रा, जयपुर
4. अतिरिक्त आयुक्त(प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी.), जविप्रा, जयपुर
5. उपायुक्त जोन......., जविप्रा, जयपुर
6. उपनिदेशक(जनसम्पर्क), जविप्रा, जयपुर
7. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर
8. वरिष्ठ लेखाधिकारी(नीलामी/आर.सी.आर.), जविप्रा, जयपुर।

(आदित्य कुमार पारीक)
निदेशक(वित्त)

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
फोन : 0141- 2569696(Ext. 7224)
Email ID :- tarajindal.jda@rajasthan.gov.in

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः— प.5(3)/नविवि/3/99पार्ट   जयपुर, दिनांकः 18 JUL 2019

आदेश

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 74, राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि के निस्तारण) नियम, 1974 के नियम 7ए, एवं राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम 1970 की धारा 60 के अन्तर्गत प्राधिकरणों/नगर सुधार न्यासों एवं आवासन मण्डल की बकाया लीज राशि के ब्याज में छूट देने की शक्ति राज्य सरकार में निहित है।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट वर्ष 2019—20 की घोषणा संख्या 221 से आमजन को राहत देने के उद्देश्य से नगरीय निकायों/नगर विकास न्यासों/राजस्थान आवासन मण्डल/जयपुर, जोधपुर तथा अजमेर विकास प्राधिकरण की बकाया लीज राशि दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 तक एक मुश्त जमा कराये जाने पर ब्याज राशि में शत—प्रतिशत छूट प्रदान की गई है।

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 74 एवं राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि के निस्तारण) नियम, 1974 के नियम 7 ए, राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम 1970 की धारा 60 के अन्तर्गत नगरीय निकायों/नगर विकास न्यासों/राजस्थान आवासन मण्डल/जयपुर, जोधपुर तथा अजमेर विकास प्राधिकरण की बकाया लीज राशि दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 तक एकमुश्त जमा कराये जाने पर ब्याज राशि में शत—प्रतिशत छूट एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति वित्त(राजस्व) विभाग की आई.डी. संख्या—251900631 दिनांक 15.07.19 पर प्रदत्त सहमति से जारी की जाती है।

यह आदेश तुरंत प्रभाव से प्रभावी होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हृदेश कुमार शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव—तृतीय

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।